बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना–15, दिनांकः **17.08.2026**

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14929 / श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से. (1995), अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना) अगले आदेश तक महानिदेशक, बिपार्ड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14930 / श्री एच. आर. श्रीनिवास, भा.प्र.से. (1996), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री श्रीनिवास जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14931 / श्री पंकज कुमार, भा.प्र.से. (1997), प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार –जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार वर्तमान में धारित जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से. (2004), सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन / प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार–बियाडा, पटना / प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार–आइडा, पटना / सचिव, गृह विभाग) वर्तमान में धारित सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

संख्या–1/पी0–1001/2026–सा.प्र.–14932/श्री विनय कुमार, भा.प्र.से. (1999), प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या–1/पी0–1001/2026–सा.प्र.–14933/श्री राजेश कुमार,भा.प्र.से.(2001), प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या–1/पी0–1001/2026–सा.प्र.–14934/श्री मयंक वरवड़े,भा.प्र.से.(2001), आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या–1/पी0–1001/2026–सा.प्र.–14935/श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2007), सचिव, वित्त विभाग (सम्पूर्ण प्रभार), बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार –सचिव,वाणिज्य–कर विभाग/वाणिज्य–कर आयुक्त/अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर–जी एस टी/सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह सचिव, वाणिज्य–कर विभाग/वाणिज्य–कर आयुक्त/अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर–जी एस टी/सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री नवीन कुमार, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रभारी सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/प्रभारी सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना) वर्तमान में धारित प्रभारी सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14936 / श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा.प्र.से.(2007), सचिव, निर्वाचन विभाग–सह–मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–सचिव,शिक्षा विभाग–सम्पूर्ण प्रभार) अगले आदेश तक सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे और वर्तमान में धारित सचिव, शिक्षा विभाग (सम्पूर्ण प्रभार) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14937 / श्री बी. कार्तिकेय धनजी, भा.प्र.से. (2008), सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री धनजी जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14938 / श्री राजीव रौशन, भा.प्र.से. (2010), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार– सचिव (संसाधन), वित्त विभाग} को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री रौशन अगले आदेश तक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे और वर्तमान में धारित सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14939 / श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. (2010), सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार– मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना} अगले आदेश तक सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14940 / श्री नवदीप शुक्ला, भा.प्र.से. (2013), विशेष सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार–अपर कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन पटना} अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14941 / श्री मनेश कुमार मीणा,भा.प्र.से. (2015), निदेशक, खान, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट–46, 2023) की धारा–14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14942 / श्री रिची पाण्डेय, भा.प्र.से. (2016), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट–46, 2023) की धारा–14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14943 / श्री विजय प्रकाश मीणा, भा.प्र.से. (2016), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट–46, 2023) की धारा–14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14944 / श्री तनय सुल्तानिया, भा.प्र.से. (2017), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट–46, 2023) की धारा–14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–14945 / श्री कुमार अनुराग, भा.प्र.से. (2019), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार– संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट–46, 2023) की धारा–14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17/8/2026

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–.14945 / पटना–15, दिनांकः 17.08.2026

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग) / सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली / कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली / महालेखाकार(ले. एवं ह.) वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना / राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / संबंधित विभाग / संबंधित पदाधिकारी / अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार,पटना / भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल / आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 एवं 06, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वैसे अन्य पदाधिकारी जो प्रासंगिक स्थानांतरण / पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार से सम्बद्ध पदों को वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण करते हैं, वे भी धारित उक्त अतिरिक्त प्रभार के पदों से मुक्त हो जाएंगे।

3. संदर्भित स्थानांतरण / पदस्थापन से प्रभावित पदाधिकारी, जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत रहेंगे।

17/8/2026

सरकार के अवर सचिव।